

अधिसूचना

एतदत् द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-591/सत्तर-1-2020 दिनांक 27 मार्च 2020 द्वारा शैक्षिक व शिक्षणोत्तर कार्मिकों के लिये "वर्क फ्राम होम" के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें-

1. विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालय में संचालित परीक्षाएं एवं मूल्यांकन कार्य दिनांक 14.04.2020 तक स्थगित किया जाता है।
2. विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालय के मेम्बर्स/शिक्षकों/प्राचार्यों/शोधार्थियों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिनांक 14.04.2020 तक "वर्क फ्राम होम" की अनुमति प्रदान की जाती है।
3. विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालय के फ़ैकल्टी मेम्बर/शिक्षको/शोधार्थियों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा यथा-
क. ऑनलाइन पाठ्य सामग्री तैयार करना, ऑनलाइन शिक्षण कार्य व ऑनलाइन मूल्यांकन कार्य करना।
ख. लेसन प्लान तैयार करना और शिक्षण सामग्री आगामी शैक्षणिक सत्र/सेमेस्टर के लिये तैयार करना।
ग. शोध कार्य जारी रखना।
घ. आर्टिकिल, पत्र इत्यादि लिखना।
ड. प्रश्न कोष के लिये नवाचारी प्रश्नों को तैयार करना।
च. "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के सम्बन्ध में नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार करना।

वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत हम सभी अपना बहुमूल्य समय ऑन-लाइन लर्निंग में उपयोग कर सकते हैं, सूचना प्रसारण एवं तकनीक के माध्यम से ऑन-लाइन लर्निंग हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिनके लिंक्स निम्नलिखित हैं-

SWYAMPortal- <https://storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html>, **e-PG Pathshala:** epgp.inflibnet.ac.in
e-Content in UG subjects: <http://cec.nic.in> **SWAYAMPRAKASHA-** <https://www.swyamprabha.gov.in> **UGC-CEC YouTube channel:** youtube.com/user/cecedusat

4. फ़ैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/प्राचार्यों/शोधार्थियों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों तथा तदर्थ एवं संविदा शिक्षको, जिनकी संविदा दिनांक 14.04.2020 तक वैध है, की उपरोक्त अवधि सेवावधि के रूप में गणना की जायेगी।
5. फ़ैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/प्राचार्यों/शोधार्थियों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों द्वारा अपने सम्पर्क सूत्र तथा मोबाइल नम्बर/ई-मेल आदि अपनी संस्थाओं को उपलब्ध करायेगें ताकि उनसे विशेष परिस्थितियों में सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचना एवं प्रसारण तकनीकी के माध्यम से ऑन-लाइन-लर्निंग हेतु उपलब्ध कराये लिंक्स की जानकारी ई-मेल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी शिक्षको/छात्रों एवं शोध छात्रों को अपने स्तर से प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त ऐसे महाविद्यालय, जहां सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रम संचालित हैं, के समस्त प्राचार्यों से अनुरोध है कि सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के कोर्सवर्क हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करते हुए सम्बन्धित शिक्षको से ऑन-लाइन व्याख्यान/लेक्चर तैयार करवाकर उसे सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को ई-मेल/सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराकर कोर्स पूरा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय



कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

दिनांक: 27/03/2020

पत्रांक: 2128/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर एवं बस्ती मंडल।
- 3- वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर।
- 4- विभागाध्यक्ष- वाणिज्य, प्रभारी- अर्थशास्त्र/हिन्दी विभाग, सि0वि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 5- प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 6- निजी सचिव, कुलपति को कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 7- प्रभारी- सामान्य प्रशासन, परीक्षा सामान्य, गोपनीय, अभिलेख कक्ष।
- 8- कोडिंग प्रभारी को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराये।
- 9-सम्पादक दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 10-सम्बन्धित पत्रावली।